न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 837/2020 जी.सी.एम.नम्बर 2020/00576

1. भोमा पुत्र रामसुख, जाति माली निवासी ग्राम ढाणी हवलदारों की ग्वालिनी (माधोगढ), तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र मूल्या, जाति माली, निवासीग्राम ढाणी हवलदारों की ग्वालिनी (माधोगढ), तहसील बस्सी, जिला जयपुर

—रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
3. नायब तहसीलदार महोदय तूंगा, उपतहसील तुंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
4. रूघनाथ पुत्र नहनू
5. कल्याण पुत्र नहनू
6. चन्द्रमोहन पुत्र नहनू
7. ग्यारसी पत्नि स्व. बदरीनारायण
8. बाबूलाल पुत्र गोपाल
9. शंकर पुत्र गोपाल
10. ग्यारसी पत्नि गोपाल

समस्त जाति माली, निवासीग्राम ढाणी हवलदारों की ग्वालिनी (माधोगढ), तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 30/2019 दिनांक 29—11—2019

उपस्थित—

1. श्री लालचन्द जाट वकील अपीलान्ट।
2. श्री नरेश कुमार जैन वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—31.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 प्रस्तुत कर भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान रही त्रुटि के कारण वर्तमान नक्शे ट्रेस में तरमीम सही करवाने बाबत् प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2019 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29–11–2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 29–11–2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131 के तहत् रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा आवेदन किये जाने पर हाल खसरा नम्बर 183/1810 रकबा 0.16 हैक्टयर व हाल खसरा नम्बर 185/1811 रकबा 0.12 विवादग्रस्त खातेदारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम दर्ज करने का आदेश कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व तथ्यों की जांच किये मनमर्जी से वास्तविक तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकार फरमा दिया गया तथा अपीलान्ट व अन्य तरतीबी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया । योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 183/1810 व खसरा नम्बर 185/1811 विवादग्रस्त के खातेदारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय को लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 131 के तहत किसी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की खातेदारी समाप्त करके अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी अधिकारी प्रदान करने का अधिकार नही है। खातेदारी अधिकारी प्रदान करने व समाप्त करने का अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत घोषणा का वाद प्रस्तुत करने पर नियमित वाद में सक्षम अदालत सुनवाई करते हुए निर्णय व डिकी के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से न्यायिक दृन्टान्त व रूलिंग्स प्रस्तुत की गई थी, लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी रूलिंग्स व नजीर का बिना कोई अवलोकन किये व बिना विवेचन किये मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 160, 163, 164, 165, 181, 183, 185, 187 के हाल नक्शा ट्रैस को उक्त भूमि के साबिक खसरा नं. 64 के साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं बनाया गया एवं न ही तरमीम की गई तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 10 की खातेदारी भूमि 157, 158, 159, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 183/1810, 185/1811 के हाल नक्शा ट्रैस को उक्त भूमि के साबिक खसरा नं. 65 के साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम नहीं की गई। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत् ही नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष आवेदन किया गया जिस पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड अवलोकन व जॉच पश्चात् ही विधिक प्रावधानों के तहत् भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान रही लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने पर नकल दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद दौराने सेटलमेण्ट राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को लेकर है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा ग्राम ग्वालिनी तहसील बस्सी जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 183/1810 रकबा 0.16 हैक्टयर व हाल खसरा नम्बर 185/1811 रकबा 0.12 तरमीम दुरूस्ती के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 के तहत् पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम को दुरूस्त कर हजफ किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 136 के तहत् केवल राजस्व रिकॉर्ड में रही लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जब दोनों पक्षकार सहमत हों। अगर किसी पक्षकार की भूमि कम या ज्यादा हो रही है तो उसे दुरूस्त किया जाना धारा 131 एवं 136 के अंतर्गत प्रावधित नहीं है। अधिकार, हक व हित धारा 131 एवं 136 के तहत् निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं। कोई भी पक्षकार नियमित वाद के जरिये ही अपना राइट टाइटल व इन्ट्रेस्ट एव खातेदारी अधिकारों का निर्धारण करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–131 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त करके अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित एव विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 29.11.2019 निरस्त किया जाता है। पक्षकार नियमित वाद अंतर्गत धारा 88, 89 के तहत् ही अपना राइट टाइटल व इन्ट्रेस्ट एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर